न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 48 / 2024(GCMS: 2024/83)

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **चंचल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा जाति वर्मा उम्र 32 वर्ष, निवासी [illegible] चौक, जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 70621—11394**
2. **लोटा साईकिल वर्क्स, सेतिया फार्म, प्रेम नगर रोड़, श्रीगंगानगर**

20.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी चंचल वर्मा एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी चंचल वर्मा ने कथन किया कि वह मोटरसाईकिल का सेल्स परचेज का कार्य करता है और श्रीगंगानगर में पेट्रोल महंगा होने के कारण प्रार्थी द्वारा पंजाब से पेट्रोल लाया जाता था लेकिन अब श्रीगंगानगर में पेट्रोल सस्ता होने जाने कारण वह पंजाब से पेट्रोल नहीं लाता है तथा ना ही भविष्य में पंजाब से पेट्रोल लायेगा। इसलिए प्रार्थी ने प्रकरण दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने अपीन बहस में कथन किया कि अवैध पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ प्रवर्तन स्टॉफ मय प्रवर्तन स्टॉफ सेतिया फार्म रोड़, श्रीगंगानगर स्थित दुकान लोटा साईकिल वर्क्स पर जांच हेतु पहुंचे तो वहां चंचल वर्मा उपस्थित मिला, जिसकी उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके जांच उक्त दुकान पर प्लास्टिक की तीन कैनियों में 110 लीटर पेट्रोल भण्डारित पाया गया। अप्रार्थी द्वारा पंजाब के पैट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पैट्रो[illegible]कर श्रीगंगानगर में सेतिया फार्म, प्रेम नगर रोड़ स्थित दुकान पर विक्रय [illegible] जाता है। जिसे अप्रार्थी ने स्वयं भी सही माना है। अप्रार्थी द्वारा पैट्रोल [illegible] भण्डारण / बेचान [illegible] कोई भी अनुज्ञा पत्र / परमिट प्रस्तुत नही किया गया।

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि विलायक, रेफिनेंट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। **वर्ग "क" का भण्डारण 30 लीटर तक बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है जबकि अप्रार्थी के पास 110 लीटर पेट्रोल पाया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी द्वारा अवैध पैट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः इनसे जब्तशुदा अवैध 110 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक कैनियां बरंग पीला को राजसात किया जावे।

मैने, राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी चंचल वर्मा द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं अप्रार्थी के लिखित जवाब पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अवैध पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ प्रवर्तन स्टॉफ मय प्रवर्तन स्टॉफ सेतिया फार्म रोड़, श्रीगंगानगर स्थित दुकान लोटा साईकिल वर्क्स पर पहुंचे। जहां चंचल वर्मा उपस्थित मिले। चंचल वर्मा की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। जांच में उक्त [illegible] तीन कैनियों में पेट्रोल भण्डारित पाया गया। वक्त [illegible] उक्त प्लास्टिक कैनियों में 110 लीटर पैट्रोल होना [illegible] श्री चंचल वर्मा ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पैट्रोल पंप से सस्ते दामो पर पैट्रोल क्रय कर श्रीगंगानगर में सेतिया फार्म, प्रेम नगर रोड़ स्थित दुकान पर विक्रय किया जाता है। चंचल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वर्मा द्वारा पैट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नही किया गया। मौके पर लोटा साईकिल वर्क्स प्रेम नगर रोड़ सेतिया फार्म श्रीगंगानगर पर उपलब्ध 110 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक बोतल जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पैट्रोल ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 110 लीटर पैट्रोल श्री चिराग जग्गा पुत्र श्री गुरूचरण जग्गा, आयु 32 जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर मैनेजर जग्गा फिलिंग स्टेशन, चक 10 एल एल तहसील गंगानगर, मोबाईल नम्बर 94162—29638 जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। चंचल वर्मा द्वारा **अवैध पैट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लघंन है।** इसलिए प्रार्थी ने जब्तशुदा अवैध 110 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक कैनियां बरंग पीला को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है तो यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी चंचल वर्मा से 110 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है उनके द्वारा उक्त जब्तशुदा 110 लीटर पैट्रोल के क्रय करने के बिल पेश नहीं किये गये है। और ना ही क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी चंचल वर्मा द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **12(1) ....**
> **12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ''क'', 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ''ख'' एवं 5000 लीटर वर्ग ''ग'' के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग ''क'' के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थीगण से 110 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है।

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे [illegible] **दुकान** में निर्धारित सीमा 30 लीटर पेट्रोल से अधिक मात्रा 110 लीटर पेट्रोल पाया हुआ है। **चूंकि अप्रार्थी चंचल वर्मा के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन करने व कब्जे में**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा 110 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 110 लीटर पेट्रोल राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 110 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 110 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:12 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर